न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 275/2015 **दायरा दिनांक : 09.12.2015**

उनवान

1 मृतक देवलाल आत्मज किशना जाति धाकड़

1/1 चन्द्री बाई पुत्री देवलाल जाति धाकड़

1/2 राजेन्द्र पुत्र देवलाल जाति धाकड़

1/3 गायत्री पुत्री देवलाल जाति धाकड़ निवासी रींछडा तह0 छबड़ा जिला बारां(राज0)

2 मूलचन्द्र आयु 60 वर्ष आत्मज किशना जाति धाकड़

3 बद्रीलाल आयु 52 वर्ष आत्मज किशना जाति धाकड़ निवासी रींछडा तह0 छबड़ा जिला बारां (राज0)

.... अपीलांट

बनाम

1 देवीलाल आयु 63 वर्ष आत्मज दुगालाल धाकड़

2 भगवान लाल आयु 43 वर्ष आत्मज देवीलाल धाकड़

3 राजेन्द्र आयु 41 वर्ष आत्मज देवीलाल धाकड़

4 भागचन्द्र आयु 38 वर्ष आत्मज किशना धाकड़

5 अशोक आयु 34 वर्ष आत्मज देवीलाल धाकड़ निवासी रींछडा जिला बारां(राज0)

6 चम्पालाल आयु 58 वर्ष आत्मज किशना धाकड

7 जगदीश आयु 50 वर्ष आत्मज किशना धाकड़

8 हरलाल आयु 56 वर्ष आत्मज किशना जाति धाकड निवासी रीछडा तहसील छबड़ा जिला बारां (राज0)

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री बृजराज सिंह अभिभाषक अपीलांट की ओर से

(महेन्द्र लोढ़ा)

निर्णय दिनांक : 25.11.2020

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी,छबडा के प्रकरण संख्या –223/2007 निर्णय व डिक्री दिनांक 20.10.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि यह कि अपीलांटगण/वादीगण ने वाद पत्र स्वंय के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि ग्राम रींछडा तहसील छबड़ा में मुताबिक जमाबंदी सम्वंत 2060 से 2063 में कुल 5 किता रकबा 38 बीघा 08 बिस्वा में खसरा नम्बर 124 रकबा 07 बिस्वा शामिल है यह भुमि सालपुरा रोड पर स्थित है पर प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट कम 1 ता 5 जबरन अतिक्रमण कर मकान बनाने का प्रयास कारने लगे तब यह वाद पत्र धारा 188,183 आर0 टी0 एक्ट में पेश कर स्थगन आदेश प्राप्त किया था जिसे उपखण्ड अधिकारी छबड़ा ने दिनांक 20.10.2015 को खारिज कर दिया गया। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई अपील में अपीलान्ट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश व डिक्री पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, साक्ष्यो के विपरित होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में तनकीयात कायम कर साक्ष्य लेखबद्ध की थी। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में ना तो तनकी का उल्लेख किया ना ही तनकीवार निर्णय पारित किया । अपीलान्ट खातेदार कृषक है रेस्पोडेन्ट ने कूट रचित स्टाम्प के आधार पर ऐकतरफा आदेश सिविल न्यायालय से प्राप्त किया है जिसकी अपील अपीलान्ट ने ए डी जे में विचाराधीन हे जिस पर अभी निर्णय होना शेष है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के इस निवेदन पर कोई गोर नहीं करके वाद खारिज करने में भारी भूल की है अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 20/10/2015 निरस्त की जावें।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने केम्प में निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने मेरिट पर निर्णय नहीं किया है ओर न ही तनकीवार निर्णय पारित किया है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
कोटा (राज.)

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तनकीयात कायम की जा चुकी थी। पत्रावली साक्ष्य वादी व प्रतिवादी में जैरकार थी। दिनांक 20–10–2015 को अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात साक्ष्य सबूतों का विवेचन किये बिना वाद विधिवत् मेन्टेनेवल नहीं होने से खारिज कर दिया, जो उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.10.2015 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान कर तनकीवार निर्णय पारित करे। पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 15.02.2021 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा